



झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा

पंचम (बजट) सत्र

कार्य सूची

17th मार्च 2026

11:00

1. प्रश्नोत्तर

- (1) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (2) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

2. शून्यकाल की सूचनाएँ।

3. ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य

- (1) श्री हेमलाल मुर्मू, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक - 11-03-26, 12-03-26, 13-03-26, 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (2) श्री नागेन्द्र महतो, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक - 11-03-26, 12-03-26, 13-03-26, 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (3) सर्वश्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप एवं श्री भूषण बड़ा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक - 11-03-26, 12-03-26, 13-03-26, 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (4) श्री चन्द्रदेव महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 11-03-26,12-03-26, 13-03-26, 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (5) श्रीमती सविता महतो, स०वि०स० एवं श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि० स० ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 12-03-26,13-03-26,14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (6) श्री शत्रुघ्न महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 12-03-26, 13-03-26,14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (7) श्री सोमेश चन्द्र सोरेन, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 12-03-26,13-03-26, 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (8) श्री प्रदीप यादव,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 12-03-26, 13-03-26,14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (9) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 12-03-26, 13-03-26, 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (10) श्री आलोक कुमार सोरेन,स०वि०स० एवं श्री अमित कुमार,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 13-03-26,14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (11) श्री संजीव सरदार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग एवं पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 13-03-26,14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (12) श्री प्रकाश राम,स०वि०स० एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 13-03-26,14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (13) श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, स०वि०स० एवं श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 13-03-26, 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (14) श्री सुरेश कुमार बैठा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 13-03-26, 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (15) श्री प्रदीप प्रसाद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (16) श्री राम सूर्या मुण्डा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (17) श्री उमाकान्त रजक, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (18) श्री राज सिन्हा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (19) सर्वश्री राजेश कच्छप, सोनाराम सिंक्कू एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 14-03-26 एवं 16-03-26 से स्थगित)

- (20) श्री राम सूर्या मुण्डा, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 16-03-26 से स्थगित)

- (21) श्री सोमेश चन्द्र सोरेन, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 16-03-26 से स्थगित)

- (22) सर्वश्री आलोक कुमार चौरसिया, सत्येन्द्रनाथ तिवारी एवं श्री अमित कुमार यादव, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 16-03-26 से स्थगित)

- (23) श्री शत्रुघ्न महतो, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक - 16-03-26 से स्थगित)

- (24) श्री सुरेश पासवान, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 16-03-26 से स्थगित)

- (25) श्री देवेन्द्र कुँवर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

4. समितियों का गठन

- (1) झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

5. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

- (1) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा पंचम् राज्य वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद् संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (2) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (3) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

6. विधायी-कार्य

- (1) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-26 अगस्त, 2025 को सभा द्वारा पारित "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025" झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाना।

7. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026

- (1) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सुदिव्य कुमार, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (2) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सुदिव्य कुमार “ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 ” को पुरःस्थापित करेंगे।
- (3) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सुदिव्य कुमार, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026” पर विचार हो ।
- (4) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सुदिव्य कुमार, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026” स्वीकृत हो ।
- (5) अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

राँची - 834004
दिनांक:17 मार्च 2026

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा